



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा



Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

E-mail: eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 543 / 7 सी०
सेवा में,

दिनांक 29-3-मार्च 2023

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद-अल्मोड़ा के अंतर्गत में कठपुडिया-बंगसर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.095 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Proposal No-FP/UK/ROAD/11278/2015)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्र सं० ०८बी०/यू०सी०पी०/०६/१९३/२०१६/एफ०सी०/२९३४ दिनांक १६.०३.२०२०
महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में भारत सरकार का पत्र संख्या ०८बी०/यू०सी०पी०/०६/१९३/२०१६/एफ०सी०/२९३४ दिनांक १६.०३.२०२० द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है:-

क्रम सं०	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त संख्या-१ के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
2.	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त संख्या-२ शर्त सं० २ से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
3	प्रतिपूरक वनीकरण: क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर ४.१९ है० गैर वानिकी भूमि ग्राम ठाना मटेणा सिविल खसरा नं० ९९, १००, १०३४, १०७५, १०८७, ११०३, ११०४, ११०५, ११०६, ११०७, ११०८, ११०९, १११०, ११२३, ११२४, ११४१, ११७७, ११७८, ११७९ में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचा जायें।	शर्त संख्या-३ क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि रु १४१२८०१.०० की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं० ३)।

	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	जिलाधिकारी अल्मोड़ा के पत्र सं0 3848/ग्यारह-13/2018-19 दिनांक 03 मार्च 2023 गैर वानिकी भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण कर दिया गया है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लाग वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त संख्या-4 से प्रयोक्ता एजेंसी सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक-30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt) दिनांक-18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक-03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक-05.02.2009 में जारी दिषानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.095 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या-5(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रु 1770275.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं0 3)।
	ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या-5(ख) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है(संलग्नक नं0 4)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 275 वृक्षों से अधिक की नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई लागत जमा की जाएगी।	शर्त संख्या-6 के अनुपालन में 275 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	शर्त संख्या-7 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से कुल रु

	फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।	3183076.00 की धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर लिये गये है। चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक सं0 3)।
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या-8 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
9.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	10. शर्त संख्या-9 के अनुपालन में आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
10.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त संख्या-10 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
11.	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनवीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिसों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त संख्या-11 के अनुपालन में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनवीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिसों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर ओवर पास प्रदान करेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या-12 के अनुपालन में पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त संख्या-13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
14	वन भूमि एवं आस पास की भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या-14 के अनुपालन में वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायगा।	शर्त संख्या-15 के अनुपालन में राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त संख्या-16 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या-17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या-19 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त संख्या-20 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त संख्या-21 शर्त सं0 21 से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी	शर्त संख्या-22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
23	अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त संख्या-23 के अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर ली गयी है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार 5-5 प्रतियों में।

भवदीय,

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

पत्रांक:- 543 / 7सी0

तददिनांक 29/3/23

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता (प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता,

परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....1

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....2

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद वन भूमि सौंपी जाएगी। इस कथन से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 अल्मोड़ा।


अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 अल्मोड़ा।

11/2/2020

Dtd = 14/11/2020

16172020110707061

AGENCY COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 02-11-2020

Client Code	CAM5089
Location	UPT. NAINCHAL
Remitter Name	EXECUTIVE ENGINEER
File Application No.	6111278736
MoEF/SG File No.	BB/ICP/06/193/2018/PC
Address	Provincial Division P.W.D., Almora Almora
Remitter Contact No.	eepdalmora@rediffmail.com
Email Id.	7532977889
Mobile No.	5962-2329633
Landline No.	
Amount (In Rs)	3102675/-
Beneficiary Branch and Code	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words: Thirty One Lakh Eighty Three Thousand and Seventy Six Rupees Only

Regional Officer,

Executive Engineer

Provincial Division P.W.D.

Almora

Branch Stamp

- * Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- * Challan should only be accepted against BMS/DO.
- * Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- * Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

छाया प्रति लिख्यपित

महाश्वर, वसिष्ठ
मानवीय बाब, नं. नि. वि.
अमोदा

6	FP/UK/ROAD/44176/2020 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/44176/2020) Construction of Dhautigad Panchgav Syura Link Motor Road Length 6.00KM	ROAD441762020394	6144176394	28 Dec 2020	CA: 2500557/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 2436156/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4936713/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 31 Mar 2021 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Union Mode of Payment : Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 31 Mar 2021 Transaction Date : 14 Jun 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3113112281215N
7	FP/UK/ROAD/44236/2020 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/44236/2020) CONSTRUCTION OF KARNATAK KHOLA TO RAILAPALI AND CONNECTING SARKAR KI AALI TO VIKASH BHAWAN MOTER ROAD LENGTH 3.00KM	ROAD442362020663	6144236663	15 Oct 2020	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 607725/-, in outer of 798600/- tree plantation motor road : Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 1406325/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 01 Apr 2021 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Union Mode of Payment : Bank Of India (Challan) Challan Generated On : 25 May 2021 Transaction Date : 14 Jun 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3113112441217Y
8	FP/UK/ROAD/42092/2019 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/42092/2019) Shitlakhet Bora State To Syahi devi Temple Motor Road in Disst. Almora Length 3.800KM	ROAD420922019151	6142092151	14 Sep 2020	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 82125/-, tree plantation 958320/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 1040445/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 02 Oct 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Corporation Bank Mode of Payment : Bank (Challan) Challan Generated On : 31 Dec 2020 Transaction Date : 18 Dec 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/8112912571216S Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallanCorp.asi
9	FP/UK/ROAD/11278/2015 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/11278/2015) kathpuria bangsar motor road (length 3.00 km)	ROAD112782015735	6111278735	16 Mar 2020	CA: 1412801/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1770275/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3183076/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 26 Aug 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Corporation Bank Mode of Payment : Bank (Challan) Challan Generated On : 02 Nov 2020 Transaction Date : 11 Nov 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/8112212521213T Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallanCorp.asi
10	FP/UK/ROAD/42915/2019 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/42915/2019) KARBALA TO MAL MOTOR ROAD LENGTH 4.00KM	ROAD429152019834	6142915834	11 Aug 2020	CA: 1317041/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1283121/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2600162/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 20 Aug 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Corporation Bank Mode of Payment : Bank (Challan) Challan Generated On : 06 Nov 2020 Transaction Date : 11 Nov 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/81120124912136 Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallanCorp.asi
11	FP/UK/ROAD/11569/2015 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/11569/2015) dwarsor - kakrighat motor road to turkoda motor road length 2.00 km.	ROAD115692015214	6111569214	16 Apr 2019	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 496860/-, tree plantation 1331000/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 1827860/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 29 Aug 2019 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Corporation Bank Mode of Payment : Bank (Challan) Challan Generated On : 05 Oct 2020 Transaction Date : 28 Sep 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/711412211212MF Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallanCorp.asi

समाप्त एवम् नित्यापित
नगरपालिका प्रमुखता
प्रमाणित गर्नु, ए.नि.दि.०
अहमोदा

आदेश

अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 1099/7 सी दिनांक 28 मई, 2021 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के कठपुडिया-बंगसर मोटर मार्ग में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 193 / 2016 / एफ.सी. / 2934 दिनांक 16.03.2020 के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु चयनित ग्राम ठाना मटेणा की 4.19 है० गौचर भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने बाबत उप जिला अधिकारी जैती/भनोली को अनुरोध किया गया है।

उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली द्वारा अपने कार्यालय पृष्ठांकन पत्र दिनांक 14.06.2021 एवं पत्र संख्या 564/एम0जे0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2021 दिनांक 18 अगस्त, 2021 के अन्तर्गत कठपुडिया-बंगसर मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूर्ति-वृक्षारोपण हेतु ग्राम ठानामटेणा, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र ठाणामटेणा, तहसील लमगड़ा के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-26 की श्रेणी-9(3)ग-गौचर में दर्ज पैमायशी खेत नम्बर 99 मध्ये 0.795 है०, खेत नं० 100 मध्ये 0.445 है०, खेत नं० 1034 मध्ये 0.165 है०, खेत नं० 1058 मध्ये 0.071 है०, खेत नं० 1075 मध्ये 0.076 है०, खेत नं० 1087 मध्ये 0.229 है०, खेत नं० 1103 मध्ये 0.331 है०, खेत नं० 1104 मध्ये 0.005 है०, खेत नं० 1105 मध्ये 0.005 है०, खेत 1106 मध्ये 0.011 है०, खेत 1107 मध्ये 0.008 है०, खेत 1108 मध्ये 0.005 है०, खेत 1109 मध्ये 0.505 है०, खेत नं० 1110 मध्ये 0.279 है०, खेत नं० 1123 मध्ये 0.050 है०, खेत नं० 1124 मध्ये 0.021 है०, खेत नं० 1141 मध्ये 0.300 है०, खेत नं० 1177 मध्ये 0.253 है०, खेत नं० 1178 मध्ये 0.560 है०, खेत नं० 1179 मध्ये 0.076 है० इस प्रकार कुल 4.190 है० सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए प्रस्तावित कर प्रस्तावित भूमि का मौका नक्शा, खतौनी, संयुक्त निरीक्षण आख्या, प्रारूप-2 पर संयुक्त रिपोर्ट एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित कर यह भी अवगत कराया गया है कि ग्राम ठाणामटेणा में उक्त भूमि हस्तान्तरण करने पर ग्राम में 89.440 है० गौचर भूमि ग्राम में अवशेष रह जायेगी। ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल 219.082 है० है। ग्राम में 4.190 है० भूमि हस्तान्तरित करने उपरान्त कुल 89.440 है० भूमि शेष रह जायेगी जो ग्राम के उक्त भौगोलिक क्षेत्रफल के 40.82 प्रतिशत शेष रह जायेगी जो शासनादेश संख्या 1332/XVIII(II) / 2014-18(59) / 2013, दिनांक 07 जुलाई, 2013 के अनुसार गांव में 5 प्रतिशत गौचर भूमि सुरक्षित रखी जानी है, के मानक से अधिक है। उक्तानुसार ही प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या 450/ग्यारह-01/2021-22 दिनांक 22-10-2021 से प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रकरण में राजस्व परिषद के पत्रांक 959/पॉच-54/2021-22 दिनांक 28 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 1/50562/2022, आर-2-20/20.8/25/2022-18(2) दिनांक 18 जुलाई, 2022 से उक्त मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 4.190 है० सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति के कम में प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं। उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 1/50562/2022, आर-2-20/20.8/25/2022-18(2) दिनांक 18 जुलाई, 2022 से जनपद अल्मोड़ा के कठपुडिया-बंगसर मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित ग्राम ठानामटेणा, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र ठाणामटेणा, तहसील लमगड़ा के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-26 की श्रेणी-9(3)ग-गौचर में दर्ज पैमायशी खेत नम्बर 99 मध्ये 0.795 है०, खेत नं० 100 मध्ये 0.445 है०, खेत नं० 1034 मध्ये 0.165 है०, खेत नं० 1058 मध्ये 0.071 है०, खेत नं० 1075 मध्ये 0.076 है०, खेत नं० 1087 मध्ये 0.229 है०, खेत नं० 1103 मध्ये 0.331 है०, खेत नं० 1104 मध्ये 0.005 है०, खेत नं० 1105 मध्ये 0.005 है०, खेत 1106 मध्ये 0.011 है०, खेत 1107 मध्ये 0.008 है०, खेत 1108 मध्ये 0.005 है०, खेत 1109 मध्ये 0.505 है०, खेत नं० 1110 मध्ये 0.279 है०, खेत नं० 1123 मध्ये 0.050 है०, खेत नं० 1124 मध्ये 0.021 है०, खेत नं० 1141 मध्ये 0.300 है०, खेत नं० 1177 मध्ये 0.253 है०, खेत नं० 1178 मध्ये 0.560 है०, खेत नं० 1179 मध्ये 0.076 है० इस प्रकार कुल 4.190 है० गौचर भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित

कमश:-

R. No. 699
File No. 7 सी 0
Date 15/03/2023

किये जाने की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की गयी है।

अतः राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या I/50562/2022, आर-2-20/20.8/25/2022-18(2) दिनांक 18 जुलाई, 2022 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी ग्राम ठानामठेणा, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र ठाणामठेणा, तहसील लमगड़ा के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-26 की श्रेणी-9(3)ग-गौचर में दर्ज पैमायशी खेत नम्बर 99 मध्ये 0.795 है०, खेत नं० 100 मध्ये 0.445 है०, खेत नं० 1034 मध्ये 0.165 है०, खेत नं० 1058 मध्ये 0.071 है०, खेत नं० 1075 मध्ये 0.076 है०, खेत नं० 1087 मध्ये 0.229 है०, खेत नं० 1103 मध्ये 0.331 है०, खेत नं० 1104 मध्ये 0.005 है०, खेत नं० 1105 मध्ये 0.005 है०, खेत 1106 मध्ये 0.011 है०, खेत 1107 मध्ये 0.008 है०, खेत 1108 मध्ये 0.005 है०, खेत 1109 मध्ये 0.505 है०, खेत नं० 1110 मध्ये 0.279 है०, खेत नं० 1123 मध्ये 0.050 है०, खेत नं० 1124 मध्ये 0.021 है०, खेत नं० 1141 मध्ये 0.300 है०, खेत नं० 1177 मध्ये 0.253 है०, खेत नं० 1178 मध्ये 0.560 है०, खेत नं० 1179 मध्ये 0.076 है० इस प्रकार कुल 4.190 है० सिविल भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार, लमगड़ा तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक: 03 / 03 / 2023

(वन्दना)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या- 3848 / ग्यारह-13/2018-19,

दिनांक: 03 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- सचिव, राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- आयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।

प्रतिलिपि निम्नांकितों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 3- उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 5- तहसीलदार, लमगड़ा को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
- 6- सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 7- प्रभारी अधिकारी, वन अनुभाग, जिला कार्यालय, अल्मोड़ा।

(वन्दना)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....4

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया जायेगा।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



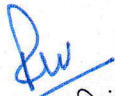
अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....5 ख

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में एन०पी०वी० की दरों में वृद्धि होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेंन्सी सहमत है।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

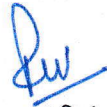

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....6

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि में 275 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा।
पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....7

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....8

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....9

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमयन साइनेज लगाए जायेंगे।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....10

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....11

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनवीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिसों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर ओवर पास प्रदान करेगा।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....12

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....13

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट नहीं बदला जाएगा।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....14

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

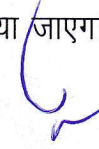

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....15

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....17

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....18

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में कठपुडिया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....19

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।



सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।



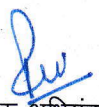
अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

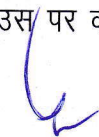
परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में कठपुडिया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....21

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....22

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 अल्मोड़ा।


अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:—जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

बिन्दु सं०.....23

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


अधिशाली अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 2572 /12-1(2) अल्मोड़ा

दिनांक 02-12-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

R. No. ... 3764
File No. ... 7.सी
Date ... 02-12-23

विषय - जनपद-अल्मोड़ा के अंतर्गत कठपुड़िया-बंगसर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.095 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Proposal No-FP/UK/ROAD/ 11278/2015)

संदर्भ- भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/193/2016/एफ.सी./273 दिनांक: 31/05/2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में प्रस्ताव में लगाये गये आपत्तियों का निराकरण निम्नवत है-

क्र०सं०	आपत्ति	प्रत्युत्तर
1	The state Govt. is requested to submit the revised CA scheme to this office.	प्रभाग स्तर से संशोधित सी०ए० प्राक्कलन तैयार कर संलग्नक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।
2	The State Govt. is requested to submit the copy of notification by which the area proposed for CA is notified as RF/PF	प्रस्ताव में चयनित सी०ए० भूमि का आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः उपरोक्त क्रम में आपसे निवेदन है कि आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र से संबंधित प्रमाण-पत्र में हस्ताक्षरित कर प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 2572 /12-1(2) दिनांकित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

प्रभागीय वनाधिकारी,

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या 11278/2015 योजना जनपद अल्मोड़ा में कठपुडिया-बंगसर मोटर मार्ग निर्माण के लिए वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त 4.19 हे० सिविल भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी अल्मोड़ा के पत्रांक 3848/ग्यारह-13/2018-19 दिनांक 03.03.2023 से हस्तान्तरित/आवन्तित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

(ह०)

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

(ह०)

प्रभागीय वन अधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

कार्यालय

वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा
पत्रांक / दिनांक, अल्मोड़ा, 2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (Hoff), उत्तराखण्ड देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमांऊ, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7. गार्ड बुक।

(ह०)

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र

वृक्षारोपण स्थल का नाम- डाना मटेना सिविल (4.19 है०)

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 4609

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	4.190 है०	97.00	406.43
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	4.190 है०	584.00	2446.96
3	अग्रिम दीवाल बन्दी(फैन्सिंग)	4.190 है०	26460.00	110867.40
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिकी कार्य हेतु प्राविधान	4.190 है०	7750.00	32472.50
5	गद्दा खुदान (0.30x0.30x0.45)	4609 पौध	7.33	33783.97
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु० प्रति है०)	4.190 है०	485.00	2032.15
7	पौधों की कीमत(प्रथम वर्ष)	4609 पौध	5.89	27147.01
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	4.190 है०	400.00	1676.00
9	अन्य कार्य	4.190 है०	200.00	838.00
योग प्रथम चरण -				211670.42

द्वितीय चरण

1	गद्दा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	4609 पौध	1.15	5300.35
2	पौधों की कीमत(द्वितीय वर्ष)	4609 पौध	1.15	5300.35
3	पौध दुलान कार्य	4609 पौध	6.39	29451.51
4	पौधारोपण व थावलाबन्दी	4609 पौध	2.06	9494.54
5	निराई, गुड़ाई व मल्लिचंग (दो बार)	4609 पौध	0.76	3502.84
6	खाद व दवा पर व्यय	4.190 है०	420.00	1759.80
7	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (596रु०Xहै०X18माह)	8 Month	5960	47680.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	8.1 सूखे घास फस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	4.190 है०	350.00	1466.50
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाद के बाहर 4मी० की पट्टी साफ करना	4.190 है०	225.00	942.75
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.190 है०	400.00	1676.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने पॉलीथीन सीट कय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्क्यूमेटेशन आदि कार्य	4.190 है०	700.00	2933.00
10	अन्य कार्य	4.190 है०	25000.00	104750.00
योग द्वितीय चरण -				214257.64
योग- प्रथम चरण + द्वितीय चरण -				425928.06

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष अन्तर्गत कार्य	12 Month	6550.00	78600.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	4.190 है०	350.00	1466.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	4.190 है०	225.00	942.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.190 है०	200.00	838.00
3	अन्य कार्य	4.190 है०	25000.00	104750.00
योग- प्रथम वर्ष रख-रखाव				186597.25

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष अन्तर्गत कार्य	12 Month	7600.00	91200.00

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष अनुस्क्षण कार्य	12	Month	7600.00	91200.00
2	अन्य कार्य	4.190	है०	200.00	838.00
	योग:- (तृतीय वर्ष रख रखाव)				92038.00

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष अनुस्क्षण कार्य	12	Month	7600.00	91200.00
2	अन्य कार्य	4.190	है०	200.00	838.00
	योग:- (चतुर्थ वर्ष रख रखाव)				92038.00

वृक्षारोपण का पांचवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष अनुस्क्षण कार्य	12	Month	7600.00	91200.00
2	अन्य कार्य	4.190	है०	200.00	838.00
	योग:- (पांचवें वर्ष रख रखाव)				92038.00

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष अनुस्क्षण कार्य	12	Month	7600.00	91200.00
2	अन्य कार्य	4.190	है०	200.00	838.00
	योग:- (छठे वर्ष रख रखाव)				92038.00

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष अनुस्क्षण कार्य	12	Month	7600.00	91200.00
2	अन्य कार्य	4.190	है०	200.00	838.00
	योग:- (सातवां वर्ष रख रखाव)				92038.00

वृक्षारोपण का आठवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष अनुस्क्षण कार्य	12	Month	7600.00	91200.00
2	अन्य कार्य	4.190	है०	200.00	838.00
	योग:- (आठवें वर्ष रख रखाव)				92038.00

वृक्षारोपण का नवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष अनुस्क्षण कार्य	12	Month	7600.00	91200.00
2	अन्य कार्य	4.190	है०	500.00	2095.00
	योग:- (नवें वर्ष रख रखाव)				93295.00

वृक्षारोपण का दसम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष अनुस्क्षण कार्य	12	Month	5000.00	60000.00
2	अन्य कार्य	4.190	है०	648.00	2715.12
	योग:- (दसम वर्ष रख रखाव)				62715.12
				कुल योग:-	1412801.43
				या	1412801.00


वन क्षेत्र अधिकारी
जालंधर
पंचसतीवा, (समोड़ा)


(वन क्षेत्र अधिकारी)
महाराज कीट


प्रभागीय वन अधिकारी
सिविल एवं लोयन एज प्रभाग
समोड़ा